

नगर विकास न्यास कोटा

प्रसन्न विहार आवासीय योजना आम जनता को आवेदन करने हेतु प्रस्तुत है। योजना में आवंटन हेतु भूखण्डो की कुल संख्या 64 निर्धारित है, जिनकी संख्या घटाई-बढ़ाई जा सकती है। भूखण्डो का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा, जिसमें राज्य सरकार के नियमानुसार विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

उक्त आवासीय योजनाओं की आवेदन पुस्तिका में आवेदन की शर्तें, भूखण्डो की दर, भूखण्डो की साईज आदि बिन्दुओं का उल्लेख कर दिया है। अतः उक्त योजनाओं में आवेदन कर लाभ उठायें।

शुभकामनाओं सहित।

राम कुमार मेहता

अध्यक्ष

नगर विकास न्यास, कोटा

डॉ मोहन लाल याद्व

सचिव

नगर विकास न्यास, कोटा

प्रसन्न विहार

आवासीय योजना

नगर विकास न्यास, कोटा

योजना स्थल :—

- नगर विकास न्यास की प्रसन्न विहार आवासीय योजना कोटा-बून्दी सड़क से लगभग 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। अतः योजना शहर के समीप स्थित है।
- 30 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है।
- न्यास की विकसित आवासीय योजनाओं राजीव आवास से सटी हुई है।
- मोहन लाल सुखाड़िया आवासीय योजना न्यास की फार्म हाऊस एवं पत्थर मण्डी योजनाओं के समीप है।

उपलब्ध भूखण्डों का विवरण:—

क्र.स.	भूखण्डों की संख्या	भूखण्डों का माप / क्षेत्रफल	अनुमानित कीमत	पंजीयन राशि
1	15	40.5 वर्ग मीटर	8000/- प्रति वर्ग मीटर	25000/-
2	4	72 वर्ग मीटर	8000/- प्रति वर्ग मीटर	25000/-
3	24	171 वर्ग मीटर	8000/- प्रति वर्ग मीटर	25000/-
4	21	252 वर्ग मीटर	8000/- प्रति वर्ग मीटर	25000/-

प्रशासनिक शुल्क 2000/-
Non Refundable

पात्रता

1. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. आवेदक को व्यस्क होना चाहिए अर्थात् आवेदन-पत्र जमा कराने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
3. आवेदक का किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और आवेदक आवेदन-पत्र में उसका विवरण अवश्य भरें। यह माना जाता है कि बैंक ने ऐसे खातों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के 'केवाईसी' मानकों का पालन किया है।
4. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित स्थाई खाता संख्या (**PAN**) होना चाहिए।
5. 1,00,000 की जनसंख्या वाले शहर में लीज होल्ड/फ्री होल्ड का भूखण्ड/आवास नहीं होना चाहिए।
6. संयुक्त नाम से आवेदन की स्थिति में दोनों एक ही श्रेणी के होना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया :-

1. आवेदन पत्र आवेदक पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर उल्लेखित बैंक के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं। फार्म न्यास की वेबासाईट पर भी उपलब्ध है। फार्म को डाउनलोड करके उसे पूर्ण भरकर उक्त बैंक में जमा करवाना होगा जिसके साथ आवेदन पुस्तिका का मूल्य 500/-भी जमा करवाकर आवेदन पुस्तिका प्राप्त करके **Online** फार्म पर बैंक से प्राप्त आवेदन पुस्तिका का क्रमांक डाला जाएगा।
आवेदक ई-मित्र के माध्यम से भी फार्म प्राप्त कर ई-मित्र केन्द्र पर जमा करवा सकते हैं।
2. आवेदन पत्र में कृपया शुद्ध हिन्दी में अपना पूर्ण नाम, पता स्पष्ट मोटे अक्षरों में लिखे तथा अपने पिता/पति का नाम, पत्र व्यवहार का पता, मोहल्ला, गली, बाजार, मकान नं० सहित शहर/ज़िले का नाम, पिनकोड नं० सहित स्वच्छ लेख में लिखे। प्रत्येक कटिंग पर हस्ताक्षर करें, आवेदन पत्र में टेलीफोन नं०/मोबाइल नं० यदि हो तो लिखे तथा निर्धारित कॉलम में आवेदक के नाम का बैंक खाता संख्या तथा बैंक का नाम लिखे।
3. आवेदन पत्र पर नवीनतम पासपोर्ट साईज का रख प्रमाणित फोटो अच्छी प्रकार से चिपकाए।

- संयुक्त आवेदन के विषय में दोनों आवेदक के फोटो लगाना आवश्यक है तथा प्रपत्रों पर दोनों के क्रमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर आवश्यक है। प्रथम आवेदक का बैंक नाम एवं खाता संख्या आवेदन पत्र में देवें
- आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कराने के पश्चात् पते में परिवर्तन के अलावा कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र के सभी कॉलमों की पूर्ति करे जो कॉलम लागू नहीं होता हो उसे स्पष्ट रूप से X (नहीं) अंकित करें।
- आवेदन पत्र केंवल आवेदन पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ में वर्णित बैंक के माध्यम से जमा किए जाएंगे।
- सभी दस्तावेजों की सुनिश्चितता स्वयं के स्तर से करें।

विशेष अनुदेश

- आवेदक अपना नाम पैन कार्ड (आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या) के अनुसार लिखें।
- आवेदक के पिता का नाम पैन कार्ड के अनुसार लिखें।
- आवेदक का स्थायी खाता संख्या (पैन) दिया जाना आवश्यक है। साथ ही PAN CARD की स्वअनुप्रमाणित प्रति अवश्य लगाएं।
- आवेदक अपने खाते का एक कैन्सिल्ड चैक (cancelled cheque CTS 2010) संलग्न करें।
- कृपया एस टी डी कोड सहित अपना फोन नं०, ई-मेल आईडी और मोबाइल नं०, यदि कोई हो, दे। यह आवेदक के हित में होगा कि वे ये विवरण दें क्योंकि इससे किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर आवेदक से सम्पर्क करने में न्यास एवं बैंक को सहायता मिलेगी।
- अशक्त व्यक्ति अपने नाम से आवेदन कर सकते हैं। यदि वह स्वयं आवेदन पत्र जमा कराने में अक्षम हो तो वह आवेदन पत्र अपने कानूनी संरक्षक के माध्यम से जमा करा सकता/सकती है।
- आवेदक का रिहायशी पता दिया जाना आवश्यक है।
- धन राशि की वापसी का चैक/मांग एवं आवंटन पत्र भेजने के लिए पत्र व्यवहार के पते का उल्लेख करें।

9. यदि आवेदन संयुक्त नाम में किया गया हो, तो संयुक्त आवेदक के नाम का उल्लेख करें।

10. पंजीकरण राशि का विवरण लिखें, डिमाण्ड झ्राप्ट **सचिव, नगर विकास**

न्यास कोटा के पक्ष में देय होना चाहिए। यदि आवेदक ऑनलाईन आवेदन फार्म का प्रयोग करता है तो उसे पूरी तरह भरे हुए आवेदन पत्र के साथ फार्म की लागत के रूप में राशि 500/-रु0 (जिसमें वेट राशि शामिल है) सहित पंजीकरण राशि मय प्रशासनिक शुल्क आवेदन पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ में वर्णित बैंक शाखाओं में जमा करवानी होगी।

आरक्षण :-

विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए भूखण्ड आरक्षण के प्रतिशत की तालिका नीचे दी गयी है। जो व्यक्ति जिस श्रेणी के अन्तर्गत भूखण्ड हेतु आवेदन करेंगे उन्हे उसी श्रेणी के लिए लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा। किसी अन्य श्रेणी में उनका कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्म	सैनिक / सेवानिवृत्त सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएँ	अनुसूचित जाति के जनजाति	अनुसूचित जनजाति	शारीरिक निशकत जन के लिए	अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए	सामान्य श्रेणी के लिये
10%	10%	9%	6%	3%	2%	60%

स्पष्टीकरण :

- जो व्यक्ति राजस्थान सरकार/राजस्थान स्थित विश्वविद्यालय/राज्य के स्थानीय निकायों व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीन कार्यरत है तथा राजस्थान के मूल निवासी है, उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। पेंशनर को इस वर्ग में नहीं माना जावेगा।

ऐसे व्यक्ति को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है जो राजस्थान की जनगणना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है ऐसे व्यक्ति का राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ., कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी से है।
4. सैनिकों की विधवाये वे हैं जिनके पति सैनिक रहे हो एवं मृत्यु सेवा काल के दौरान हो गई हो।
5. अधिस्वीकृत पत्रकार वे हैं जिन्हे राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई है एवं वर्तमान में भी पत्रकारिता का कार्य कर रहे हो।
6. विकलांग व्यक्ति वे हैं जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके हैं तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित है।
7. किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष भूखण्डों का आवंटन सामान्य श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा।

8. संयुक्त आवेदन के क्रम में सभी आवेदकों को एक ही आरक्षित क्षेणी का होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जायेगा।

आवेदन कैसे करें

1. इस योजना के अन्तर्गत आवेदन कर रहे आवेदक को राशि पच्चीस हजार रुपये (25000/-) की पंजीकरण राशि एवम् 2000/- का प्रशासनिक शुल्क (Non Refundable) डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी।
2. पंजीकरण राशि यूआईटी कोटा में देय, किसी भी बैंक के सिंगल डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर द्वारा आवेदन पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर उल्लेखित बैंक की किसी भी नोडल शाखा में जमा करनी होगी।
3. आवश्यक भुगतान के साथ सभी तरह से विधिवत पूरा आवेदन-पत्र आवेदन पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर उल्लेखित बैंक द्वारा आवेदन-पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व बैंकिंग समय के समाप्ति से पूर्व दिए जाएंगे। यूआईटी समाप्ति समय के पश्चात किसी भी कारण से आवेदन पत्र की प्राप्ति में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
4. आवेदन पत्र योजना बंद होने की तिथि के बाद स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि भुगतान की तिथि योजना के बंद होने के बाद की है तो ऐसे आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जायेगा और इसका पूर्ण जिम्मेदार आवेदक होगा। लॉटरी के ड्रा में ऐसे आवेदन पत्र पर विचार नहीं करेगा।
5. किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों को आवेदक को बिना कोई कारण बताये सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 07.10.2016 है।

आवेदन पत्र के साथ आवेदकों द्वारा जमा किये जाने वाले nLrkost

(क) सभी श्रेणीयों के लिए

1. निर्धारित पंजीयन राशि एवं प्रशासनिक शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट।
2. सभी आवेदन पत्रों के साथ आयकर विभाग द्वारा जारी पैन (स्थाई खाता संख्या) की स्व अनुप्रमाणित प्रति।
3. आवेदक अपने बैंक खाते का एक Cancelled चैक CTS 2010 सलग्न करें।
4. निवास का प्रमाण जैसे पासपोर्ट, सरकारी पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, गृह कर की रसीद, बैंक पास बुक (जिस पर नाम व पता हो) आधार कार्ड की स्व अनुप्रमाणित प्रति।
5. 1,00,000 की जनसंख्या वाले शहर में लीजहोल्ड/फ्री होल्ड का भूखण्ड/आवास नहीं होने का स्व: घोषणा पत्र।

(ख) आरक्षित श्रेणी के लिए:-

उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त किसी भी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे,

1. यदि आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आरक्षित श्रेणियों से संबंध रखता है, तो उसे संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट / तहसीलदार/नायब तहसीलदार से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
2. यदि आवेदक अशक्त व्यक्तियों की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करता है, तो उसे सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण पत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
3. भूतपूर्व सैनिकों के मामले में रक्षा मंत्रालय/सशस्त्र बलों के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

4. यदि आवेदक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं,जिसमें उदारीकृत पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाएं भी शामिल हैं, की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आता है तो उसे रक्षा मंत्रालय/सशस्त्र बलों/अर्द्धसैनिक बलों द्वारा जारी किए गए “अपेक्षित प्रमाण-पत्र” की स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
5. राज्य सरकार के विभागों एवम् राजकीय उपकरणों के कर्मचारियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आवंटन की प्रक्रिया

- (1) लाटरी योग्य भूखण्डो की संख्या **64** है। उक्त संख्या उपलब्धता के अनुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती है। भूखण्डो का आवंटन लाटरी पद्धति के अनुसार राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 व राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के अन्तर्गत 99 वर्षीय पट्टेदारी लीज होल्ड के आधार पर किया जावेगा। लाटरी जन साधारण के सामने निकाली जावेगी,जिसकी तिथि की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में दी जावेगी, और लॉटरी के पूर्व अपूर्ण/पूर्ण आवेदन पत्रों की सूची न्यास के सूचना पट्ट पर लगाई जावेगी। आवेदकों द्वारा अपूर्ण आवेदन पत्रों को निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं करने पर उन्हें लाटरी हेतु अयोग्य माना जावेगा जिसकी जिम्मेदारी न्यास की नहीं होगी।
- (2) सफल आवंटितियों को मांग एवं आवंटन पत्र पंजीकृत डाक से भेजे जाएंगे। तथापि ड्रॉ का परिणाम देखने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी। आवेदक/आवंटिती को मांग एवं आवंटन पत्र देर से मिलने/नहीं मिलने के लिए न.वि.न्यास जिम्मेदार नहीं होगा।

मांगी गई राशि के भुगतान की पद्धति:-

(1) लाटरी में सफल आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किए जावेंगे। भूखण्डों की राशि आवंटन पत्र के 30 दिन में एक मुश्त राशि जमा करानी होगी। तत्पश्चात आवंटी अगले 60 दिन तक 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा करा सकेगा। इसके पश्चात आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा जमा शुदा अग्रिम राशि जब्त कर ली जावेगी। आवेदन पत्र के साथ जमा कराई राशि बिना ब्याज के भूखण्ड की राशि में समायोजित कर ली जावेगी। शेष भुगतान योग्य राशि नकद/स्थानीय चैक/डी.डी./पे-ऑर्डर से आवेदन पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर उल्लेखित बैंक में देय तिथि तक जमा कराई जा सकेगी। निर्धारित तिथि तक न्यास खाते में राशि जमा कराने का दायित्व आवंटी का होगा। भूखण्ड की राशि के साथ साईट प्लान के रु. 200/- अतिरिक्त जमा कराने होंगे। दिनों व ब्याज की गणना आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से की जावेगी।

असफल आवेदकों की आवेदन राशि की वापसी:-

1. नगर विकास न्यास को दी गई पंजीकरण राशि आवेदक पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ में उल्लेखित बैंक द्वारा जहां आवेदक ने आवेदन पत्र जमा किया हो, द्वारा वापस की जाएगी। संबंधित बैंक, असफल आवेदकों को धन वापसी के चैक भेजने के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें किसी प्रकार की हानि के मामले में जिम्मेदारी बैंक द्वारा ली जाएगी। यूआईटी या बैंक योजना के बंद होने के एक साल के बाद राशि वापसी हानि/मूटिलेशन धन वापसी के चैक का भुगतान न होने से संबंधित आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।
2. जमा राशि वापस प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने बैंक खाते का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। यदि आवेदन संयुक्त नाम में हो तो वापिसी केवल प्रथम आवेदक के नाम में की जावेगी और इसलिए केवल उसी का बैंक एकाउंट नम्बर दिया जाना चाहिए। एकाउंट नम्बर एवं बैंक के विवरण चैक

पर चिन्हित होंगे। एकाउंट नम्बर एवं बैंक के विवरण चैक पर चिन्हित होंगे इसलिए आवेदक को ध्यानपूर्वक ये विवरण आवेदन पत्र में भरने होंगे।

3. यदि आवेदक ने एक ऐसे स्थान/कार्यालय का पता दिया है, जहां कोरियर का प्रवेश प्रतिबंधित है, वहां धनराशि वापिस करने के चैक/मांग पत्र भेजने सहित सभी पत्र व्यवहार कोरियर के असफल रहने पर निर्धारित तरीके से भेजे जाएंगे। ऐसे मामलों में आवेदक को आवेदन पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर में दिए गए बैंक के नोडल अधिकारियों से सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है। इन मामलों में आवेदक/आवंटिती द्वारा पत्र प्राप्ति में देरी/प्राप्त नहीं होने के लिए यूआईटी/बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

टिप्पणी— यदि आवेदक की फर्म/कंपनी के खाते से आवेदन शुल्क का भुगतान किया जा चुका है तो राशि वापिस करने के उद्देश्य से आवेदक को अपने बैंक संबंधी ब्योरे उपलब्ध कराने होंगे क्योंकि इन ब्यौरों को धन वापिसी चैक पर भी लिखा जाएगा। यदि खाता संख्या और पाने वाले का नाम असंगत है तो बैंक भुगतान नहीं करेगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह सलाह दी जाती है कि आप आवेदन पत्र भरने से पूर्व इसकी पुनः जांच कर लें।

भूखण्डों की रजिस्ट्री:-

आवंटी द्वारा भूखण्ड की संपूर्ण बकाया राशि, लीज आदि जमा कराने पर न्यास द्वारा पट्टा विलेख (लीज डीड) जारी किया जावेगा। इस पट्टा विलेख का पंजीयन, पंजीयक मुद्रांक कार्यालय, कोटा में आवंटी द्वारा कराया जावेगा। पट्टा विलेख का समस्त व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। सफल आवेदकों द्वारा भूखण्ड पर ऋण चाहने पर न्यास द्वारा बैंक सरकारी वित्तिय संस्थाओं को अनापत्ति संस्थाओं का पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु समय पर राशि जमा कराने की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।

भूखण्ड पर नगरीय कर (लीज)

भूखण्ड पर नगरीय कर नियमानुसार जमा करवाना होगा।

भूखण्ड का कब्जा:-

भूखण्ड की संपूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात् भूखण्ड की लीज डीड (पट्टा विलेख) जारी की जावेगा। जिसका पंजीयन स्थानीय पंजीयन कार्यालय से कराने के बाद भूखण्ड का कब्जा न्यास के अधिकृत भवन निरीक्षक/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौके पर दिया जावेगा। आवंटी कब्जा पत्र कार्यालय से प्राप्त करेंगे अथवा उनको रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया जावेगा। कब्जा पत्र जारी करने की तिथि से 15 दिन के अन्दर आवंटी को न्यास के भवन निरीक्षक/कनिष्ठ अभियन्ता से सम्पर्क करना होगा अन्यथा कब्जा स्वतः लिया हुआ मान लिया जावेगा। तत्पश्चात् न्यास की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। साइट प्लान व मौके पर कब्जा देने पर अतिरिक्त भूमि होने पर उसका नियमानुसार अतिरिक्त राशि आवंटी को तुरन्त जमा करानी होगी तथा भूखण्ड कॉर्नर का होने पर भूखण्ड की राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि आवंटी को देनी होगी।

भूखण्ड पर निर्माण कार्य:-

भूखण्ड के आवंटन तिथि से 5 वर्ष के अन्दर भूखण्ड पर भवन निर्माण कार्य करना होगा। अन्यथा भूखण्ड का आवंटन निरस्त हो जावेगा तथा आवंटी को भविष्य में रियायती दर पर भूखण्ड नहीं दिया जावेगा। आवंटी द्वारा आवेदन करने पर विशेष परिस्थितियों में न्यास अध्यक्ष व न्यास मण्डल निर्धारित राशि व ब्याज तथा शास्ति लेकर निरस्त भूखण्ड को नियमित करके भूखण्ड पर निर्माण के लिए अवधि नियमानुसार बढ़ा सकते हैं। भूखण्ड पर निर्माण के लिए न्यास से निर्माण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा प्रस्तावित निर्माण का नक्शा स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।

भूखण्ड का हस्तान्तरणः—

आवंटन तिथि से 5 वर्ष तक किसी भी स्थिति में भूखण्ड का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा। अगर आवंटी आवंटन से 5 वर्ष पश्चात् किन्तु 10 वर्ष पूर्व भूखण्ड हस्तान्तरण करता है तो उस समय की प्रचलित आरक्षित दर अथवा आवंटन दर दोनों में से जो भी अधिक हो, की 5 प्रतिशत राशि लीजाकर नियमानुसार अनुमति दी जा सकेगी परन्तु भविष्य में रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्ति करने का आवंटी का अधिकार समाप्त हो जावेगा। आवंटित के नाम भूखण्ड की रजिस्ट्री होने के बाद ही विक्रय अनुमति दी जा सकेगी। विक्रय/हस्तान्तरण की पूर्वानुमति न्यास से प्राप्त की जाना आवश्यक है। भूखण्ड संबंधी सभी नियम/निर्णय आवंटी को मान्य होंगे।

अन्यः—

1. भूखण्ड का पुनर्गठन न्यास की स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा और न ही दो या अधिक भूखण्डों की एक ईकाई बनाई जावेगी।
2. राज्य सरकार एवं न्यास द्वारा समय समय पर जारी किए नियम/संशोधन आवंटी पर लागू होंगे।
3. समस्त पत्राचार ड्राफ्ट सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा के नाम से होगा।
4. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र कोटा शहर होगा।
5. आवंटी पर राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 व राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निष्पादन) नियम 1974 के समस्त प्रावधान तथा न्यास निर्णय समय समय पर संशोधन के साथ लागू होंगे।
6. भूखण्डों की माप/संख्या में कम/ज्यादा की जा सकती है विषम परिस्थितियों में आवंटित भूखण्ड का कष्टा नहीं दिए जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा

जमा राशि बिना व्याज के लौटाई जा सकेगी तथा मौके की स्थिति के अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल कम या अधिक हो सकता है जो कि आवंटी को स्वीकार करना होगा।

7. यदि किसी आवेदक द्वारा गलत सूचना देकर तथा मिथ्या तथ्यों के आधार पर न्यास को धोखे में रखते हुए भूखण्ड आवंटन का प्रयास किया है अथवा आवंटन करा लिया है व आवेदन पुस्तिका में अंकित शर्तों का पालन नहीं किया तो ऐसे आवेदकों की जमा राशि व भूखण्ड को जब्त कर लिया जावेगा तथा आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
8. भूखण्ड अथवा उस पर बने भवन पर समक्ष अधिकारी द्वारा लागू किये समस्त कर शुल्क आदि की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड आवंटन संबंधी समस्त प्रक्रिया संबंधी किसी भी बिन्दु पर विवाद होने पर अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, कोटा का निर्णय सर्वमान्य व अंतिम होगा।
10. भूखण्ड के साथ अतिरिक्त जमीन की राशि नियमानुसार न्यास निर्णयानुसार आवंटी को अतिरिक्त जमा करानी होगी तथा भूखण्ड का क्षेत्रफल कम होने पर वास्तविक माप की राशि ही आंवटी से ली जावेगी।
11. लाटरी के संबंध में कोई भी जानकारी/सूचना मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा से प्राप्त की जा सकती है।
12. आवेदक भूखण्डों को आवेदन के पूर्व मौके पर जाकर देख लें।
13. आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत सुचना के आधार पर ही लॉटरी निकाली जायेगी। यदि लॉटरी निकालने के बाद आवेदन पत्रों में कोई कमी अथवा मिथ्या सूचना पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः आवेदन फार्म भरते समय आवेदक निर्धारित मापदण्डों की पालना सुनिश्चित कर लें।

**ऋग घोषणा पत्र
(अमन्त्र आवेदकों के लिए)**

**स्व प्रमाणित
फोटो**

मैं पुत्र/पति/पुत्री
..... आयु निवासी

..... घोषणा करता/करती हूँ, कि

- (1) यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 1,00,000 से अधिक आबादी वाले किसी कस्बा/शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फी होल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नहीं है तथा मैं राजस्थान का/ की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।
- (2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैंने द्वारा आवंटन पुस्तिका में दिये गये समस्त नियमों की पालना की जायेगी।
- (3) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।
- (4) मुझे या मेरे आश्रित को सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था की किसी भी योजना में रियायती दर पर आवंटित आवास को 10 वर्ष पूर्व बेचान नहीं किया गया है

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं पुत्र/पति/पुत्री श्री
..... घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है एवं मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा इस योजनान्तर्गत किये गये आवास का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

सैनिक कोटे के अन्तर्गत आरक्षित भूखण्डों हेतु उच्च घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पति/पुत्री
.....आयु.....निवासी.....
.....घोषणा करता/करती हूँ, कि:-

- (1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड हेतु एक मात्र मैं ही आवेदन कर रहा हूँ। परिवार के किसी अन्य सदस्य ने उक्त आरक्षित कोटे से भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।
- (2) यह कि मेरे पिता/पति/पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है तथा न ही मेरे स्व0 पिता/पति/पत्नि श्री/श्रीमती/ ने एवम् हमारे परिवार के किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित भूखण्डों में से कोई भूखण्ड आवंटित कराया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं पुत्र/पति/पुत्री श्री
..... घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है एवं मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा इस योजनान्तर्गत किये गये आवास का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

विकलांग प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी.....

की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये शारीरिक रूप से अपंग हैं।

स्थान :

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी

दिनांक :

के हस्ताक्षर मय

मोहर

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी.....

तहसील

जिला अधिस्वीकृत पत्रकार है।

स्थान :

निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत

दिनांक :

अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर